उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 30/2024/128/एक-1-2024-15-1099/78/2023 (मा0 शिक्षा)

लखनऊः दिनांक 12 अगस्त, 2024

अधिसूचना

आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद (सम्प्रति अयोध्या) के आदेश संख्या-आर0ए0 द्वितीय/8-1(14-15)/2103 दिनांक 20.05.2015 द्वारा ग्राम सभा खालिसपुर, परगना रोखा, तहसील तिलोई, जनपद-अमेठी की गाटा संख्या 1483 मि0/0.702 हे0, 1484/ 0.1900, 1472 मि०/0.367हे0, 1499 मि0/0.506 हे0, 1501मि0/0.699 हे0 व 1502/0.221हे0 कुल 6किता/2.685 हे0 भूमि केन्द्रीय विद्यालय की अवस्थापना हेतु पुनर्ग्रहण की गयी थी।

2- जिलाधिकारी अमेठी के पत्र संख्या-653/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 02.11.2023 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराया गया कि उक्त गाटों पर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना ग्राम सभा खालिसपुर में न होकर वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज महाराजपुर पिन्डोरिया के भवन के एक भाग में अस्थायी रूप से संचालित है तथा विद्यालय का स्थाई भवन तहसील अमेठी के ग्राम सभा ताला में कृषि भवन केंद्र के बगल में निर्माणाधीन है। वर्तमान समय में प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। साथ ही उक्त गाटों को केन्द्रीय विद्यालय के नाम दर्ज गाटों को पुनः ग्राम सभा में निहित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-जी66/5-33/2024, दिनांक 10.02.2024 द्वारा जिलाधिकारी अमेठी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्यालय के प्रशासकीय विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) (दो) में विहित प्राविधान के तहत मण्डलायुक्त फैजाबाद के पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 20-05-2015 को निरस्त प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा में पुनः निहित करने का मत उपलब्ध कराया गया।

4- माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, वाराणसी के पत्र संख्या-F.430111/KVS/RO/VNS/2023-24/731 दिनांक 21 मई 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय अमेठी हेतु ग्राम सभा खालिसपुर तहसील-तिलोई में आवंटित भूमि को अस्वीकार किये जाने तथा उक्त भूमि की आवश्यकता केन्द्रीय विद्यालय के लिये न होने के दृष्टिगत अनापत्ति प्रदान की गयी।

5- जिलाधिकारी अमेठी के प्रस्ताव के क्रम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की आख्या/अभिमत, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अनापत्ति तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड-(ग) (दो) में विहित प्राविधान के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद (सम्प्रति अयोध्या) के आदेश संख्या-आर0ए0 द्वितीय/8-1(14-15)/2103 दिनांक 20.05.2015 द्वारा ग्राम सभा खालिसपुर, परगना रोखा, तहसील तिलोई, जनपद-अमेठी की गाटा संख्या 1483 मि0/0.702 हे0, 1484/0.1900, 1472 मि०/0.367हे0, 1499 मि0/0.506 हे0,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1501मि0/0.699 हे0 व 1502/0.221हे0 कुल 6किता/2.685 हे0 भूमि केन्द्रीय विद्यालय की अवस्थापना हेतु निर्गत पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 20.05.2015 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए प्रश्नगत भूमि को पुनः ग्राम सभा खालिसपुर में निहित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
पी0 गुरुप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी 66/5-33/2024, दिनांक 10.02.2024 के क्रम में।
3- आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या, उ0प्र0
4- जिलाधिकारी, अमेठी को उनके पत्र संख्या-653/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक 02.11.2023 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना भी उपलब्ध करायी जाय।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।